आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मान्य होस्टलों में आवास की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जैसा कि कम से कम पांच छात्रों द्वारा एक साथ रहने के लिए आवास लिया जाता हो, साथ ही, इसके साथ सर्वसाधारण मैस का प्रबन्ध भी होना चाहिए।

नोट-4 उन छात्रों को जो निशुल्क भोजन और/या निशुल्क आवास के पात्र हैं। छात्रावासियों की दरों का 1/3 अनुरक्षण व्यय दिया जाएगा।

2. नेत्रहीन छात्रों के लिए रीडर प्रभार (नेत्र हीन छात्रवृत्तियां)
नेत्रहीन छात्रों को निम्नलिखित अतिरिक्त राशि रीडर प्रभार के रूप में दी जाएगी।

समूह	नेत्रहीन छात्रों के लिए रीडर भत्ता (प्रतिमास रुपये में)
क.ख.ग.	100
घ	75
ङ.	50

3. फीस

छात्रों को प्रवेश/पंजीकरण, शिक्षा, खेल यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य शुल्कों का भुगतान किया जाएगा जिनका छात्रों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय/बोर्ड को भुगतान किया जाता है तथापि जमानती जमाराशि, प्रतिभूति जमाराशि जैसी वापिस की जाने वाली जमाराशि इसमें शामिल नहीं होगी।

4. अध्ययन दौरे

व्यवसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले छात्रों को, उनके द्वारा किये गए वास्तविक परिवहन व्यय आदि के लिए अधिकतम 500/-रुपये प्रति वर्ष तक अध्ययन दौरा व्यय दिया जाएगा, बशर्ते कि संस्था के प्रधान यह प्रमाणित करे कि यह अध्ययन दौरा छात्र के अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

5. शोध प्रबन्ध टाइपिंग/मुद्रण व्यय

अधिकतम 600/-रुपये तक का शोध प्रबन्ध टाइपिंग/मुद्रण व्यय, संस्था के प्रधान की सिफारिश पर अनुसंधान करने वाले छात्रों को दिया जाएगा।